

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

--:: कार्यालय-आदेश ::--

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये । उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एसएलपी संख्या 14306-14310/ 2017 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में जारी किया जाता है । राज्य सरकार के स्वीकृति पत्रांक प. 17(66)माध्य/शिक्षा-2/विप्र/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 03.10.2019 के अनुसरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो की अनुपालना में रिशाल परिणाम उपरान्त अचयनित अभ्यर्थियों के निम्नांकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं.10 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 10 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थाईकरण किया जाता है। उक्त अभ्यर्थियों की नई मेरिट के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग - अजमेर से जारी निर्देश के पश्चात आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।

क्र.सं.	चयन वर्ग	मेरिट नं	नई मेरिट	नाम अभ्यर्थी	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	कार्याग्रहण	स्थाईकरण दिनांक
1	OBCM	1783	—	NARENDRA SONI	AADRASH GOVT. SR. SEC. SCHOOL JASWANTPURA.	JALOR	07/11/1984	24/06/2017	24/06/2019
2	OBCM	1934	—	GAJENDRA KUMAR	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL, KASWANAGAR, BARI	DHAULPUR	15/10/1989	24/07/2017	24/06/2019





(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक:- 28/02/2020

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/पीएससी-15/स्थाईकरण/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग ।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
6. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक ।
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर